

Uttarakhand Mineral Policy, 2011

This document is available at ielrc.org/content/e1156.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011

औद्योगिक विकास विभाग

उत्तराखण्ड शासन






उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून- 248001
फोन: 0135-2655177 (का.)
0135-2650433
फैक्स: 0135-2712827

मंत्रीजनरल से.नि.
भुवन चन्द्र खण्डड़ी (ए.वी.एस.एम.)
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

संदेश

प्रदेश में खनिज संशाधनों के प्रचूर मात्रा में भण्डार उपलब्ध है, जिनका दोहन प्रदेश की अर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए वैज्ञानिक विधि से खनिजों के दोहन करने, राज्य के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने तथा रोजगार के अवसर सुजित करने, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य के लिए नई खनिज नीति का प्रख्यापन किया गया है। इस नीति में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य के अन्तर्गत उपलब्ध खनिज स्रोतों के क्षमताओं का अधिकाधिक विदोहन किया जा सके। सरकारी निगमों के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी इस नीति में सुनिश्चित की गयी है। खनिज नीति में निजी भूमि के भूस्वामियों को खनन पट्टे दिये जाने में प्राथमिकता दी गयी है। अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से आधुनिक निगरानी प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। खनिज क्षेत्रों के विकास एवं खनिज अन्वेषण आदि को दृष्टिगत रखते हुए खनिज विकास निधि की स्थापना की व्यवस्था की गयी है।

मुझे पूर्ण आशा है कि राज्य खनिज नीति 2011 जिस उद्देश्य से प्रख्यापित की गयी है वह अपने लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने में सफल एवं कारगर होगी।



मे०ज० (से०नि०) भुवन चन्द्र खण्डड़ी

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग—२
संख्या: २९११ / VII-II / १४६-ख / १० / २०११,
देहरादून: दिनांक: १८ नवम्बर, २०११

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड खनिज नीति, २०११

1. उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज क्षेत्रों की पुनर्स्थापना करने, खनिज भण्डारों का आधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अनुवेक्षण का कार्य करने तथा खनिज के दोहन एवं चुगान के कार्यों में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शासनादेश संख्या 1031/औ०वि०/2001 दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति प्रख्यापित की गयी थी।
2. उपरोक्त नीति के पुनर्विलोकन की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए नीति का विस्तृत परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण, राजस्व प्राप्ति, उपभोक्ताओं तथा निर्माण संस्थाओं को उपखनिजों की उचित मूल्यों पर सहज उपलब्धता तथा स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य को संज्ञान में रखते हुए शासनादेश संख्या 3498/औ०वि०-२२-ख/2001 दिनांक 17.10.2002 द्वारा खनिज नीति, 2001 में कठिपय संशोधन किये गये।
3. वर्तमान में सरकारी कार्यदायी निगमों एवं निजी पट्टाधारकों द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14 के अनुसार पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण न कराये जाने, निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक न दिये जाने, निगमों द्वारा सम्पूर्ण खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य न कर औंसतन लगभग 60 प्रतिशत भाग पर ही उपखनिज का चुगान/टिपान किये जाने से खनिज पट्टा क्षेत्र से खनिजों का समुचित मात्रा में दोहन नहीं हो पा रहा है, तथा निगम द्वारा रिक्त छोड़े गये क्षेत्रों में अवैध खनन की संभावनाएं बनी रहती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं तदधीन बनायी गई पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 (Environment Impact Assessment Notification-2006) दिनांक 14.09.2006 का भी अनुपालन पूर्ण रूप से अपेक्षित है।
4. उपरोक्त समरल तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, खनिजों से राजस्व मे वृद्धि करने तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति, 2001 एवं संशोधित नीति, 2002 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिए निमानुसार नई खनिज नीति प्रख्यापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. मुख्य खनिज

मुख्य खनिजों का विकास एवं विनियमन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली भारत सरकार

द्वारा प्रवृत्त की गई है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग—ए एवं बी में विनिर्दिष्ट मिनरल्स अंकित है, जिसको रिकोनेइसेंस परमिट/प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टे पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है।

मुख्य खनिजों का खनन कार्य सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम, 22 के अन्तर्गत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश के अन्तर्गत सतही एवं भूर्गम में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की सम्पत्ति होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश में निहित है, इसलिए खनिज पर देय रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी।

मुख्य खनिजों के सुनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी—

- (1) शासन द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजों के खनन में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्य प्रणाली को व्यवहारिक बनाने के सम्बन्ध में उपाय एवं सुझाव तैयार कराये जायेंगे। कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को मुख्य खनिजों से संबंधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 के सम्बन्ध में सुझाव देने का भी होगा।
- (2) मुख्य खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूँजी एवं आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो।
- (3) मुख्य खनिजों यथा सिलिका सैण्ड, लाइम स्टोन, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन आदि के दोहन हेतु सम्यबद्ध कार्ययोजना तैयार कर खनिज उद्योग को बढ़ाया जायेगा।

2. उपखनिज

- (1). राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे गढ़वाल मण्डल क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊ मण्डल क्षेत्र में कुमाऊ मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम०एम०-१ में आदेदन करने के उपरांत पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। निगमों के द्वारा उपखनिज के चुगान/खनन कार्य स्वयं किया जायेगा तथा किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा। निगम खनिजों की रायल्टी पर 10 प्रतिशत रार्डिस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- (2). मा० उच्चतम न्यायालय से एन०पी०वी० मुक्त निगम/संस्था को छोड़कर शेष निगम एवं निजी पट्टाधारकों के द्वारा खनन पट्टा विलेख का निष्पादन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 14 के अन्तर्गत कराया जाना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा नियम, 22 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित अपरिहार्य भाटक तथा नियम, 21 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी का भुगतान पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार किया जायेगा। मा० उच्चतम न्यायालय से एन०पी०वी० मुक्त निगम/संस्था खनन चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निवेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समर्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम० ओ०य० हस्ताक्षर करने के उपरांत निवेशक द्वारा निर्माति के पश्चात ही उपखनिज के चुगान/खनन प्रारम्भ करेंगे।
- (3). ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिनमें उपलब्ध खनिजों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड़ दिये जाते हैं, को नियमानुसार टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन संघ/श्रम संविदा समितियों/कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

- (4). स्थानिक चट्टानों/नदी तल से संबंधित निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 72 के अनुसार विज्ञापिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन पट्टे पांच वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेगे जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त नीति के अधीन किसी भी व्यक्ति/संस्था को 05.00 हैक्टेएकर से अधिक के खनन पट्टे तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (5). राज्य के बन भूमि को छोड़कर समस्त नदी तलों में नदी के किनारे से नदी की चौड़ाई का 15 प्रतिशत भाग छोड़ते हुए उपखनिज का चुगान का कार्य यथासंभव नदी के मध्य से किया जायेगा जिससे कि नदी के जल प्रवाह की धारा को नदी के मध्य केन्द्रीत किया जा सके। इसके अतिरिक्त पुल, सार्वजनिक स्थान आदि से अपरस्ट्रीम साइड मे 100 मी० तथा डाउनस्ट्रीम में भी 100 मी० क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए चुगान कार्य किया जायेगा। इसके अन्तर्गत उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखनिज क्षेत्रों के विज्ञापिकरण/चिन्हीकरण हेतु गठित समिति द्वारा नदी तट सुरक्षा हेतु नदी तट से सुरक्षित दूरी के लिए निर्धारित मानक में शिथिलता प्रदान की जा सकती है। परन्तु अपरिहार्य भाटक की गणना हेतु समूर्ध नदी तल की चौड़ाई को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिससे सुरक्षित किए जाने वाले स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खनन पट्टाधारक की सुनिश्चित की जा सके।
- (6). नदी तल से सम्बन्धित बन भूमि को छोड़कर निजी नाप भूमि (Alluvial-Delluvial Soil) के खनन पट्टों को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपखनिज का चुगान नदी के मध्य से चौड़ाई का 15 प्रतिशत दोनों किनारों से छोड़ते हुए स्वीकृत/विज्ञापित किए जाने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। ऐसे क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु जनपद के जिलाधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर स्वीकृत किए जाने/प्रतिबंधित किए जाने वाली भूमि की सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित करें।
- (7). भवनों के बैंसमेंट से मिट्टी की खुदाई व निजी भूमि से व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई व भूमि धरी/निजी नाप भूमि जो नदी तल से बाहर स्थित है के समतलीकरण के दौरान निकलने वाले उपखनिज बालू/बोल्डर/पत्थर/मिट्टी हेतु निजी व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए उक्त नियमावली के अध्याय-6 के नियमानुसार अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से जांच/मूल्यांकन आद्या प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
- (8). मैदानी क्षेत्र यथा विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधमसिंहनगर, रामनगर तथा हरिद्वार को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवन के निर्माण हेतु भवन के स्टीमेट जो क्षेत्रीय पटवारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापित हों, के आधार पर 150 घन मीटर तक की निर्माण सामग्री (उपखनिज बालू/बजरी/बोल्डर) चिन्हित नदी तल से चुगान की अनुमति ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। उपयोग में आने वाले उपखनिज का परिवहन, प्रपत्र एम०एम०-11 पर किया जायेगा।
- (9). ईट बनाने की मिट्टी के खनन अनुज्ञा पत्र ईट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जांच/निरीक्षण आद्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
- (10). पर्वतीय क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जायेगा परन्तु मैदानी शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा तथा ऐसे क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान का कार्य दिन-रात किया जा सकता है।

3. जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में:-

परियोजनाओं द्वारा जलाशय/सुरंग (Tunnel)/नहर आदि के निर्माण कार्य से निकलने वाले Muck (उपखनिज पथर/बोल्डर/बालू आदि) को परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण स्टीमेट (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति शारान के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के आधार पर दी जायेगी।

4. सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध में:- सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी०जी० बी०आर (ग्रेफ) सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पथर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण स्टीमेट (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अन्तर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन अनुज्ञा—पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। यह प्रक्रिया राज्य के जलाशयों एवं नहरों में जमा उपखनिज की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी।

5—खनन पट्टा के आंदंटन की प्रक्रिया:-

- (1). उपखनिज क्षेत्रों के चिन्हीकरण एवं विज्ञापिकरण हेतु उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पदेन सदस्य सचिव, ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक की संस्तुति आख्या के आधार पर क्षेत्रों के विज्ञापिकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। तदोपरान्त प्राप्त आवेदन—पत्रों को जिलाधिकारी के द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किये जायेंगे।
- (2). खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत खनिज के परिवहन हेतु समस्त प्रपत्र सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (3). खनिजों का परिवहन खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर सुनिश्चित किये जायेंगे।
- (4). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986 के नियम, 5 के उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी EIA नोटिफिकेशन दिनांक 14-09-2006 के अन्तर्गत राज्य में उक्त नोटिफिकेशन के प्रख्यापन की तिथि के उपरान्त स्वीकृत/नवीनीकृत/स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे खनन पट्टों जिनका क्षेत्रफल 5.00 है० या 5.00 है० से अधिक है, को उक्त नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। EIA कराने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय नोडल विभाग होगा।
- (5). समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक/भण्डारण स्थानी को निर्धारित किये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रायली की धनराशि एवं पुस्तक मूल्य अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी जिसका दायित्व सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक का होगा।
- (6). निजी नाप भूमि में खनन पट्टे निजी व्यक्तियों/स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 72 के अनुसार विज्ञापिकरण के उपरान्त नियमानुसार खनन पट्टे 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किये जायेंगे।

जिसमें भूखामी अथवा भूखामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो, तो उसे खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(7). खनिज पर आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. अवैध खनन पर अंकुशः—

- (1). अवैध खनन एवं अवैध परिवहन की रोक थाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चेक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित किये जायेंगे।
- (2). अवैध खनन कर्ता/अवैध खनिज परिवहन कर्ता/अवैध भण्डारणकर्ता/स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज का भण्डारणकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, की धारा, 21 के उपनियम (1) एवं 21 के उपनियम (5) द्वारा निर्धारित अर्धदण्ड की धनराशि रूपये 25000/-के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये गये खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जायेगा।
- (3). राज्य में खनिजों के वैज्ञानिक रूप से दोहन कराये जाने तथा राजस्व की वृद्धि सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक खान अधिकारी तथा खनिज अन्येषण हेतु एक भूवैज्ञानिक की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। इन अधिकारियों के द्वारा जनपद स्तर पर स्थापित “उद्यम प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की सुगमता केन्द्र” के माध्यम से खनन उद्योग विकास से संबंधित सूचना एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4). खनन पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहन का पंजीकरण वाहन स्वामी के द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उद्योग निदेशालय में कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु पृथक से निर्धारित शुल्क भी देय होगा।
- (5). खनिजों के भण्डारण के अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खान निरीक्षक की जाँच/निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियमानुसार संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किये जायेगे।

7. खनिज विकास निधि की स्थापना:- खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यों के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। इसके लिए विगत वित्तीय वर्ष में खनिजों से प्राप्त राजस्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व के अन्तर का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा। यह व्यवस्था 01.04.2012 से लागू होगी। निधि से जिस प्रयोजन हेतु धनराशि व्यय की जायेगी उस हेतु राज्य के आय-व्ययक में मांग नहीं की जायेगी। खनिज विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में एक करोड़ रुपये की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में प्राविधानित की जाएगी। खनिजों से प्राप्त राजस्व का पांच प्रतिशत धनराशि खनिज अन्वेषण, पर्योक्षण, रागीक्षा, अवैध खनन की रोकथाम तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु व्यय किया जायेगा। उपरोक्त पांच प्रतिशत धनराशि में से तीन प्रतिशत जिलाधिकारियों को संबंधित जनपद से प्राप्त राजस्व के अनुपात में तथा शेष दो प्रतिशत धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को उपरोक्त कार्यों हेतु आवंटित की जायेगी।

8. विकास शुल्कः— जिस क्षेत्र में खनिजों के विदोहन हेतु खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे उस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु खनन उद्यमियों/पट्टाधारकों से रारकार द्वारा विकास शुल्क के रूप में विहित धनराशि प्राप्त कर उस क्षेत्र के विकास हेतु जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी।

9. दून वैली क्षेत्रान्तर्गत नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में चुगान को सुलभ कराये जाने हेतु दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01.02.1989 एवं ई0आई0ए० नोटिफिकेशन, 2006 के प्राविधानों से मुक्त/शिथिल कराने हेतु पर्यावरण एवं बन मंत्रालय, भारत सरकार से अथक प्रयास किए जायेंगे।

10. समरत पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्र धारक/खनिज भण्डारण स्वामी द्वारा मा० उच्चतग न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

11. स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर:-

- (1) उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीतियों के अनुसार ही स्टोन केशर के स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।
- (2) पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए स्टोन केशर उद्योग को धनात्मक उद्योग श्रेणी में लाया जायेगा तथा मोबाइल स्टोन केशर भी स्थापित किए जायेगे।
12. खनिजों के वैज्ञानिक विधि से दोहन हेतु “क्षमता विकास कार्यक्रम” चलाया जायेगा।
13. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय का यह दायित्व होगा कि इस राज्य खनिज नीति, 2011 के प्रविधानों/उपबन्धों को धरातल पर उतारने एवं लागू किए जाने हेतु 30 जून, 2012 तक का समय निर्धारित किया जायेगा।
14. इस नीति में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्द्धन मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के निर्देश/अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा।

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: (1)/VII-II/146-ख/10/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समरत प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग /भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समरत जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांयू मण्डल विकास निगम/ उत्तराखण्ड बन विकास निगम।
8. गोपन अनुभाग।
9. निदेशक, एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जनपद हरिद्वार को आगमी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

किशन नाथ
अपर सचिव।